प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र का क्रमांक 8803

प्रतिलिपि का ... तारीख 23-6-07

फोटो ... 7

फोटो ... 10/50

फोटो ...

23-6-07

आदेश

26-6-06

25/6/07

फोटो स्टेट ...

23 JUN 2007

मुख्य प्रतिलिपिक

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 16 जयपुर नगर, जयपुर।
पीठासीन अधिकारी: शिवचरण मीणा, आर.जे.एस.
एफ आई आर संख्या 266/06 पुलिस थाना शिप्रापथ अंतिम प्रतिवेदन संख्या 243/06 धारा 306 भा.दं.सं. एवं 3(1)(10) एससीएसटीएक्ट

दिनांक 15.6.07

परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित । इस आदेश से अंतिम प्रतिवेदन संख्या 243/06 में प्रस्तुत आपत्ति याचिका बाबत लिये जाने प्रसंज्ञान का निस्तारण किया जा रहा है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि फरियादी श्री चौथी लाल मीणा ने एक टाईप शुदा रिपोर्ट पुलिस थाना शिप्रापथ में इस आशय की दर्ज कराई कि उसने उसकी पुत्री अंकिता मीणा व हिमांशु मीणा का प्राप्तांको के आधार पर सन 2002 में इण्डिया इंटरनेशनल स्कूल मान सरोवर में (जिसे आगे सुविधा के लिये स्कूल कहा जावेगा) प्रवेश करवायाथा । उसका लडका व पुत्री शुरू से बडी सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे थे । उन्होंने काफी नाम कमायाथा । स्कूल में उसके लडके व लडकी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार शुरू से ही रहा स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका जानबूझकर उन्हें नहीं दियाजाताथा। जिसकी शिकायत बच्चों ने उससे की थी । बच्चों ने उसे बतायाथा कि मीणा जाति का होने के कारण द्वेष रखते हैं । उसके बच्चे के 90 प्रतिशत सेकआर आनेपर औरों को मेडल दिये गये उसके बच्चे को नहीं दियेगये । बच्चों का सेक्शन भी बदल दियागया । जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने से बाथरूम में जाकर उसकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली । ... आदि तथ्यों पर अभियोग संख्या 266/06 धारा 306 भा.दं.सं. 3(1)(10) एससीएसटीएक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया । बाद आवश्यक अनुसंधान प्रकरण में संकलित साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर पुलिस थाना शिप्रापथ ने अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में मामला अदम वकू गलत फहमी का बताकर पेश किया । जिससे व्यथित होकर आपत्ति याचिका फरियादी ने पेश की तथा स्वयं तथा हिमांशु मीणा, सत्येन्द्र यादव गुमान, उदयसिंह, श्रीमती ममता मीणा के बयान कराये गये । बहस प्रसंज्ञान सुनी गई ।

दौराने बहस फरियादी के अधिवक्ता द्वारा तर्क दियागयाहै कि परियादी की बच्ची अंकिता द्वारा दिनांक 14.7.06 को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई जो कि स्कूल में उसकीपुत्री के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के परिणामस्वरूप की गई । स्कूल में मीणा जाति के लोगों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार हमेशा से किया जाता रहाहै।

15/6/07
(शिवचरण मीणा)
... न्यायिक मजिस्ट्रेट ... क्रम-16
जयपुर शहर, जयपुर
मिनी सचिवालय कमरा 308

अभियोक्ता को स्कूल द्वारा हमेशा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गयाहै। फरियादी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन के विरुद्ध में आपत्ति याचिका पेश की गई थी । जिसके समर्थन में गवाहान एवं स्वयं फरियादी के बयान कराये गये हैं। जिनके कथनों से आपत्ति याचिका में उल्लेखित तथ्यों की पूर्ण रूप से ताईद होती है। स्कूल प्रशासन द्वारा फरियादी की बच्ची को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करना एवं उसकी वजह से दुष्प्रेरित होकर आत्महत्या करने की पुष्टि फरियादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से होती है । ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन के निदेशक अशोक गुप्ता, माला मैडम एवं अन्य शिक्षिकाओं के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जावे ।

हमने इस परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया । अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में बाद अनुसंधान इस आधार पर प्रस्तुत कियागयाहै कि स्कूल प्रशासन द्वारा योग्यताधारी किसी भी स्टूडेंट्स को जाति गत आधार पर सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं से वंचित नहीं किया गयाहै । हर गतिविधि में योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स को चांस दिया जाताथा जिसके आधार के स्कूल छात्रों के बयान व प्रतियोगिताओं के रेकार्ड को संकलित कियागयाहै। अनुसंधान में यह भी पाया गया कि एक मात्र फरियादी के पुत्र हिमांशु मीणा का सेक्शन अकेले का चेंज नहीं किया गया है बल्कि उसके साथ नौ छात्रों का और सेक्शन चेंज किया गयाहै। जो रजिस्टर की प्रति से स्पष्ट है । अनुसंधान में यह भी पाया गयाकि फरियादी के पुत्र हिमांशु मीणा को 90प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने पर मेडल देकर अन्य छात्रों के साथ सम्मानित कियागयाहै। लेकिन नाम बोलने पर हिमांशु मीणा स्टेज पर नहीं आना सी डी से स्पष्ट है। हिमांशु मीणा को अशोक कुमार गुप्ता द्वारा बैज लगाकर सम्मानित किया जाना अनुसंधान में पायागयाहै। अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह भी अनुसंधान में पाया गया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जाति के आधार पर किसीप्रकार का कोईभेदभाव नहीं किया जाताथा । फरियादी की पुत्री को भी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाना अनुसंधान से पाया गयाहै । अभियोक्ता में ज्यादा बौद्धिकी उसे सहेलियों की पार्टीयों में भी नहीं जाने दिया जाताथा अकेले बाहर घूमने नहीं दिया जाताथा, आदि तथ्यों को दौराने अनुसंधान पाये जाने पर भ्रम वह गलतफहमी के आधार पर यह अंतिम प्रतिवेदन पेश कियागयाहै ।

18/6/15

(शिवचरण मीना)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग क्रम
जयपुर शहर, जयपुर

फरियादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति याचिका एवं उनके बयानों में विशेष रूप से यह कहा गयाहै कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान जो फोटो प्राप्त की गई है वह अंकिता की नहीं है । किसी अन्य छात्रा की है । फरियादी द्वारा यह भी बयान कियागयाहै कि हिमांशु मीणा को मेडल नहीं दियागया । क्लास टीचर से मेडल मांगने पर भी नहीं दियागया । प्रस्तुत सीडी में गडबडी होने का उल्लेख भी आपत्ति याचिका में कियागयाहै जिसके समर्थन में अपने बयान दिये हैं। शिक्षकों और अभिभावकों की मीटिंग भी नहीं होने का आपत्ति याचिका में उल्लेख है। फरियादी द्वारा अपने कथनों में विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर दियागया हैकि उसने हिमांशु और अंकिता को स्कूल में सन 2002 में प्रवेश पूर्व स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों एवं खेलकूद के प्रमाण के आधार पर तथा प्राप्तांको के आधार पर एडमिशन करवायाथा । उसके पुत्र पुत्री शुरू से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत अधिक रूचि लेतेथे । उन्होंने स्कूल में काफी नाम कमायाथा फरियादी का यह भी कहना है कि हिमांशु के बताये अनुसार उन्हें मीणा जाति की वजह से भेदभाव कर उचित अवसरों से वंचित रखा जाताथा । उसके लडके हिमांशु के अच्छे अंक आने परभी कोई मेडल स्कूल द्वारानहीं दिया गया । क्लास टीचर से मिलने पर भी कोई मेडल नहीं दिया गया । मिड सेशन में उसने अपने बच्चे को इसी कारण स्कूल से हटाकर आकाशदीप स्कूल में एडमिट करवाया । उस समय उसकी बच्ची का स्कूल प्रशासन से झगडा विशेष रूप से नहीं था । अतः उसे वहीं पढने दियागया । उसकी लडकी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेने बाबत कोई शिकायत नहीं की। उसकी बडी लडकी को प्रोग्राम में कतार के पीछे खडा कियाथा जिसकी शिकायत उसने स्कूल प्रशासन से की थी । गर्मी की छुट्टियों में गुजराती सलेक्टर ने एफ.एम वीडियो में आडिशन के लिये उसकी पुत्री को सलेक्ट कियाथा । स्कूल प्रशासन ने जानबूझकर प्रोग्राम प्रसारण की तारीख की सूचना उसे नहीं दी । इससे वह काफी दुखी हुई । इस प्रकार आपत्ति याचिका के तथ्यों का समर्थन करते हुये फरियादी ने अपनी साक्ष्य दी है। हिमांशु मीणा जो फरियादी का पुत्र है, तथा ममता मीणा जो फरियादी की पत्नि है, ने भी फरियादी एवं आपत्ति याचिका के तथ्यों व साक्ष्य का समर्थन किया है तथा अपनी साक्ष्य की [redacted] में फरियादी के कथनों को दोहराया है।

फरियादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का हमने सूक्ष्मता से विवेचन किया तथा पत्रावली का इसपरिप्रेक्ष्यमें ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

(शिवचरण मीना) (कनिष्ठ खण्ड), न्यायाधीश ... कक्ष क्रम-18 ... मजिस्ट्रेट ... जयपुर शहर, जयपुर ... कमरा 308

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि स्कूल मानसरोवर में सन 90 से स्थापित है । सन 90 से आज तक भिन्न भिन्न जाति के विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत रहे हैं जिनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति, पिछडा वर्ग आदि के विद्यार्थी भी अध्ययन रत रहे हैं। लेकिन इस कथित घटना के घटित होने से पूर्व किसी भी जाति के स्टूडेंट्स के साथ भेदभावपूर्ण रवैया या जातिगत शब्दों से अपमानित करने की बात या कोई शिकायत, मुकदमेबाजी आदि तथ्य रेकार्ड पर नहीं है। न ही फरियादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध कराई गई है । जिससे यह प्रथमदृष्टया प्रकट होता होकि मीणा जाति के स्टूडेंट्स के साथ जाति गत शब्दों का इस्तेमाल कर भेदभावपूर्ण रवैया उनके साथ अपनाया जाता हो । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यहभी प्रकट है कि स्कूल में एडमिशन कीशर्त योग्यता मात्र प्रतिशत के आधार पर है । रिजर्वेशन या अन्य कोई कोटे का नियम स्कूल में होना नहीं बताया गयाहै। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह भी प्रकट है कि अच्छे अंक आने पर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाताथा । फरियादी का यह कहना है कि उसके बेटे को 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के पश्चात भी सम्मानित नही कियागया। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह प्रकट है कि हिमांशु मीणा को उसे सम्मानित करने के लिये सलेक्ट कियागयाथा । जैसा कि लिस्ट नंबर 14 पर फरियादी के पुत्र हिमांशु मीणा का नाम अंकित है। पत्रावली में फरियादी के पुत्र हिमांशु एवं पुत्री अंकिता की मार्कशीट भी सलंग्न है एवं स्कूल में प्रेक्टिकल में दिये गये नंबरो की सूची भी संलग्न है । जिनके अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रकट नही होता है कि जातिगत भेदभाव के आधार पर प्रेक्टिकल में फरियादी के पुत्र पुत्री को कम नंबर स्कूल द्वारा दिये गये हों । फरियादी केपुत्र एवं पुत्री के प्रेक्टिकल के नंबरो की अन्य छात्रों को दिये गये नंबरों से तुलना करते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं मिलता है। अन्य छात्रों के समकक्ष ही फरियादी के पुत्र एवं पुत्रियों को नंबर दिये गये हैं। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यह प्रकट नहीं होता है कि जाति गत आधार पर [illegible] कर स्कूल प्रशासन द्वारा प्रेक्टिकल में मीणा जाति के छात्रों को कम नंबर दिये गये हों ।

जहां तक फरियादी के पुत्र हिमांशु मीणा का मिडसैशन में स्कूल छोडने का प्रश्न है, तो अनुसंधान में यह पाया गयाहै कि मिड सेशन में स्कूल छोडकर जाने वाले छात्रों की सूची प्राप्त कर ली गई है। जिससे अवलोकन से प्रतीत होता है कि भिन्न भिन्न जातियों के छात्र मिड सेशन में स्कूल छोडकर चले गये हैं जिनका स्कूल छोडकर जाने का कारण भी दर्शायागयाहै ।

15/6/14

(शिवचरण मीना)
[illegible] मजिस्ट्रेट [illegible]
जयपुर शहर, जयपुर
[illegible] सचिवालय कमरा 306

परिवादी के पुत्र हिमांशु मीणा द्वारा जाति गत शब्दों से अपमानित करने पर मिड सेशन में स्कूल छोडा गयाहो यह उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। परियादी कायह भी कथन है कि उसकी पुत्री अंकिता का कोई विशेष झगडा स्कूल प्रशासन से नहीं था इसलिये उसी स्कूल में उसे पढने दियागया । जिससे प्रकट होता है कि स्कूल प्रशासन द्वारा मीणा जाति के साथ भेदभाव पूर्ण आधार पर किसी प्रकार से कोई प्रताडना छात्रों को नहीं दी जातीथी । यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से परियादी की पुत्री, जो कि मीणा जाति की थी, उसे भी जिस समय हिमांशु द्वारा मिड सेशन में स्कूल छोडा गया, स्कूल छुडवा दिया जाता । इस सम्बन्ध में फरियादी ने अपने कथन किये हैं कि उस समय तक उसकी लडकी का स्कूल प्रशासन से कोई विशेष झगडा नहींथा । इस प्रकार फरियादी के कथनों से हिमांशुमीणा को मिड सेशन में स्कूल जाति गत शब्दों से अपमानित करने के आधार पर छुडवाया गया, प्रतीत नही होता है। अन्य कारणों से स्कूल छोडा गया, जिसका कारण स्कूल प्रशासन ने दर्ज कियाहै।

फरियादी कायहभी कथन रहा है कि मीणा जाति के होने के आधार पर उसके पुत्र पुत्री को स्कूल की खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेने दियाजाताथा लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रकट नही होता है कि ऐसा स्कूल प्रशासन द्वारा किया गया बल्कि उपलब्ध दस्तावेजात में फरियादी के पुत्र-पुत्री को विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लियाजाना बतायागयाहै जिसकी फोटो भी पत्रावली में संलग्न है। फरियादी का यह कहना कि पत्रावली में संलग्न फोटो अंकिता मीणा की न होकर किसी अन्य लडकी की है, सही प्रतीत नहीं होता है । पत्रावली का अवलोकन करने पर सी डी की फोटो एवं पत्रावली में संलग्न प्रदर्श पासपोर्ट फोटो के साथ प्रस्तुत अंकिता की फोटो की तुलना करने पर एक ही प्रतीत होती है। जिससे फरियादी का कथन गलत हो जाता हैकि मीणा जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर उसकी पुत्री को स्कूल के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेनेदियाजाताथा। पत्रावली में संलग्न सीडी फोटो में स्कूल प्रशासन द्वारा हिमांशुमीणा को स्टेज पर बेज लगाकर सम्मानित करते हुयेभी बताया गयाहै । जिससे भी फरियादी का यह कथन गलत प्रतीत होता है कि उसके पुत्र को मीणा जाति का होने के नाते प्रतिशत से ज्यादा प्राप्तांको पर सम्मानित नहीं कियागया ।

फरियादी एवं उसके साक्षियों का यह भी कहना है कि घटना घटित होने से कुछ दिन पूर्व "हम सुखी हमारे पूर्वज सुखी" इस विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी । जिसमें फरियादी की पुत्री अंकिता ने भी भाग लियाथा लेकिन फरियादी कीपुत्री के लेख को किसी अन्य आरती भल्ला से पढाने हेतु दियागया। जिससे दुखी होकर उसने आत्महत्या की । इस सम्बन्धमें हम पत्रावली पर उपलब्ध कथित निबंध को देखते हैं तो इस लेख पर विचार किया गया है तथा " वी विल कन्सीडर " स्कूल प्रशासन द्वारा लिखा हुआ है जिससे यही प्रतीत होता है कि अंकिता मीणा द्वारा लिखे गये लेखको स्कूल प्रशासन ने कन्सीडर कियाहै। अतः फरियादी का यह कथन स्वयमेव ही गलत साबित हो जाता है कि किसी आरती भल्ला को उसे दियागया। इस लेखपर अंकिता मीणा का नाम है स्कूल प्रशासन द्वारा उसे कन्सीडर कियागयाहैतथा इसका निर्णय दिनांक 19.7.06 के लिये रिजर्व रखा गया। ऐसी स्थिति में यह प्रकट नहीं होता है कि फरियादी की पुत्री अंकिता के लेख को किसी अन्य आरती भल्ला को दियागया। जिससेदुखी होकर अंकिता मीणा ने आत्महत्या कर ली ।

फरियादी के पुत्री के साथ मीणा जाति से सम्बन्धित शब्दों को बोलकर अपमानित करने एवं इससेदुष्प्रेरित होकर आत्महत्या करने की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा फरियादी की पुत्री के साथ पढने वाली सहपाठी छात्र छात्राओं के बयान अंकित किये गये हैं। जिनमें कु.अक्षिता कु.असिमा कु.यस्सवी पाठे कु.ईशता कु.रिषिमा, कु.सुरभि, कु.अभिषा एवं स्कूल छोडकर आई कुमारीपायल मीणा के बयान लिये गये हैं। जिन्होंने भी अपने बयानों में कुमारी अंकिता मीणा को जातिगत शब्दों से अपमानित कर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित स्कूल प्रशासन द्वारा किया जाना नहीं बतायाहै, । बल्कि इन सभी छात्रों ने अपने कथनों में अंकित करवाया है कि स्कूल प्रशासन द्वारा जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नही कियाजाताथा। दिनांक 13.7.06 को भी अंकिता स्कूल में आई थी, जो नोर्मल थी ।जिससे भी प्रकट होता है कि अंकिता मीणा के साथ स्कूल प्रशासन द्वारा कोई जातिगत शब्दों से सम्बोधित कर अपमानित नहीं किया गया ~~जिससे दुखी होकर उसने~~ ~~आत्महत्या की~~ ।

15/8/07

(शिवचरण मीना)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
जयपुर शहर, जयपुर
कमरा 308

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में फरियादी की ओर से उपलब्ध कराई गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रथमदृष्टया यहप्रकट नहीं होता है कि स्कूल प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति जन जाति के विद्यार्थियों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाताथा एवं फरियादी की पुत्री के साथ जातिगत भेदभाव कियाजाता रहा जिससे दुष्प्रेरित होकर आत्महत्या की गई है । पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रकट होता है कि प्रकरण में गहनतापूर्वक अनुसंधान किया गयाहै । जिसमें हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार मैं नहीं पाता हूं । ऐसी स्थिति में अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार कर आपत्ति याचिका खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.6.07 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

15/6/07

[शिवचरण मीणा]

(शिवचरण मीणा)

अतिरिक्त [illegible]

एवं न्यायिक [illegible]

जयपुर शहर, जयपुर

हिन्दी अधिवाचय कमरा 30

23 JUN 2007

प्रतिलिपि विभाग